अखिल राजस्थान उच्च शिक्षा मंत्रालयिक कर्मचारी संघ (अरूस्मा)

(EMAIL ID : arusma2025@gmail.com)

प्रधान कार्यालयः SKIT कॉलेज के पास, रामनगरिया, जगतपुरा, जयपुर

क्रमांकः ARUSMA/प्रदेश/राज./2025/25–32 दिनांकः–21.07.2025

माननीय मुख्यमंत्री जी/उच्च शिक्षा मंत्री जी,
राजस्थान सरकार, जयपुर।
श्रीमान् उच्च शिक्षा सचिव/मुख्य सचिव
उच्च शिक्षा/कार्मिक विभाग, जयपुर।

श्रीमान् मुख्य सचिव
राजस्थान सरकार, जयपुर।
श्रीमान् आयुक्त/अतिरिक्त आयुक्त
आयुक्तालय कॉलेज शिक्षा राजस्थान, जयपुर।

विषयः– वित्तीय वर्ष– 2025–26 की डीपीसी/पदोन्नति प्रक्रिया शीघ्र पूर्ण करने एवं भविष्य में समयसीमा का पालन सुनिश्चित करने एवं अन्य समस्याओं के समाधान हेतु अनुरोध।

महोदय,

उपर्युक्त विषयान्तर्गत निवेदन हैं कि उच्च–शिक्षा विभाग में वित्तीय वर्ष– 2025–26 की मंत्रालयिक संवर्ग की डीपीसी/पदोन्नति प्रक्रिया पूर्ण करने एवं भविष्य में डीपीसी की समयसीमा का पालन सुनिश्चित करने हेतु निम्नानुसार निवेदन हैं :–

1. <u>वर्तमान स्थिति एवं समस्याएँ</u>

– उच्च–शिक्षा विभाग (कॉलेज शिक्षा विभाग) में मंत्रालयिक संवर्ग के विभिन्न पदों के लिए पदोन्नति (DPC) प्रक्रिया प्रायः वित्तीय वर्ष के अंत में या विलंब से की जाती है, जिससे कार्मिकों को नगद लाभ (कार्यग्रहण तिथि से) प्राप्त करने में देरी होती है और आर्थिक नुकसान होता है।

– वर्तमान में उच्च–शिक्षा विभाग (कॉलेज शिक्षा विभाग) में मंत्रालयिक संवर्ग के पैरा–एथलीट कोटा में चयनित कनिष्ठ–सहायकों की वर्ष– 2024–25 की कनिष्ठ–सहायक से वरिष्ठ–सहायक के पद की नियमित पदोन्नति किए जाने बाद कार्मिक विभाग से ऐसे कार्मिकों को नियमानुसार टंकण परीक्षा उर्त्तीण होने के प्रावधान से छूट के लिए मार्गदर्शन प्राप्त होने के उपरांत भी आदिनांक तक 2024–25 की रिव्यू डीपीसी/पदोन्नति प्रक्रिया लंबित है। जिसके कारण कार्मिकों को सेवा अनुभव में लगभग 02 वर्ष का नुकसान के साथ ही आर्थिक नुकसान हो रहा है।

– वर्तमान में उच्च–शिक्षा विभाग (कॉलेज शिक्षा विभाग) में मंत्रालयिक संवर्ग के विभिन्न पदों के लिए वर्ष– 2025–26 की पदोन्नति प्रक्रिया के लिए कार्मिक विभाग द्वारा 02 वर्ष का अनुभव में सशर्त शिथिलन दिए जाने के उपरांत भी पदोन्नति (DPC) प्रक्रिया अभी तक नहीं हुई है, जबकि जुलाई माह समाप्त होने जा रहा है।

– इस विलंब से न केवल कार्मिकों को वित्तीय हानि होती है, बल्कि कर्मचारियों के मनोबल पर भी नकारात्मक प्रभाव पडता है।

– उच्च–शिक्षा विभाग (कॉलेज शिक्षा विभाग) के शैक्षणिक संवर्ग के समान ही मंत्रालयिक संवर्ग के विभिन्न पदों की पदोन्नति (DPC) प्रक्रिया संपादित होने के उपरांत पदोन्नति की रोस्टर पंजिका विगत अनेक वर्षों से विभागीय वेबसाइट पर जारी कर सार्वजनिक नहीं की जा रही है। जिससे कार्मिकों को पदोन्नति बाबत पदवार विभिन्न वर्गों की आरक्षित एवं अनारक्षित रिक्तियों के संबंध में स्थिति स्पष्ट नहीं हो रही है।

– विगत पदोन्नति वर्षों में प्रायः यह देखने में आया हैं कि उच्च–शिक्षा विभाग (कॉलेज शिक्षा विभाग) में मंत्रालयिक संवर्ग के विभिन्न पदों की पदोन्नति (DPC) प्रक्रिया संपादित होने के उपरांत दिए जाने वाले पदस्थापन में काउंसलिंग प्रक्रिया लागू नहीं होने के उपरांत भी कार्मिक हितों पर एकसमान रूप से ध्यान नहीं रखते हुए पदोन्नत कार्मिकों को मंत्रालयिक संवर्ग एवं अन्य संवर्गों के विभिन्न रिक्त पदों के विरूद्ध (पदविरूद्ध) पदस्थापन दिए जाने में कार्मिकों के साथ यथोचित समान व्यवहार नहीं किया जा रहा हैं। वरिष्ठता सूची में किसी कार्मिक का नाम अपने से कनिष्ठ से उपर होने के उपरांत

(EMAIL ID : arusma2025@gmail.com)
प्रधान कार्यालयः SKIT कॉलेज के पास, रामनगरिया, जगतपुरा, जयपुर

भी वरिष्ठता सूची में कनिष्ठों/निम्न स्थान वालों को पदविरूद्ध पदस्थापन दिया जा रहा है जबकि वरिष्ठता सूची में वरिष्ठों को अपने मूल गृह जिले से दूर पदस्थापित किया जा रहा है।

2. <u>नियमों का उल्लंघन</u>

– कार्मिक विभाग, राजस्थान के परिपत्र क्रमांक– प. 10(4)कार्मिक/क–2/2023–08017 राजकाज रेफरेंस नम्बर–4342947 दिनांक– 26.08.2023 एवं राजकाज रेफरेंस नम्बर– 14618336 दिनांक– 04.04.2025 के अनुसार 'प्रत्येक आगामी वित्तीय वर्ष की 01 अप्रैल की स्थिति में अस्थाई वरिष्ठता सूचियों का प्रकाशन चालू वित्तीय वर्ष की 01 जनवरी को किया जाकर, 01 अप्रैल को अन्तिम वरिष्ठता सूची जारी करना एवं 31 मई तक पदोन्नति की कार्यवाही पूर्ण करना आवश्यक है' का प्रावधान किया हुआ है। परंतु विभाग (कॉलेज शिक्षा विभाग) में विगत अनेक वर्षों से यह प्रक्रिया निर्धारित समयसीमा के नियमानुसार सम्पन्न नहीं हो रही है।

<u>अनुरोध</u>

– 2025–26 की मंत्रालयिक संवर्ग की डीपीसी/पदोन्नति प्रक्रिया यथाशीघ्र पूर्ण कर चयन आदेश जारी किए जाएँ, ताकि कर्मचारियों को नगद लाभ शीघ्र प्राप्त हो सकें।

– भविष्य के लिए डीपीसी हेतु कार्मिक विभाग, राजस्थान द्वारा निर्धारित समयसीमा की समुचित पालना करवाए जाने के साथ ही आगामी वित्तीय वर्षों में डीपीसी प्रक्रिया अप्रैल माह में ही पूर्ण करने के निर्देश जारी किए जाएँ।

– उच्च–शिक्षा विभाग (कॉलेज शिक्षा विभाग) में मंत्रालयिक संवर्ग के पैरा–एथलीट कोटा में चयनित कनिष्ठ–सहायकों की वर्ष– 2024–25 की कनिष्ठ–सहायक से वरिष्ठ–सहायक के पद की रिव्यू डीपीसी/पदोन्नति कार्मिक विभाग से नियमानुसार टंकण परीक्षा उत्तीर्ण होने के प्रावधान से छूट के लिए मार्गदर्शन के अनुसरण में यथाशीघ्र संपादित करवाकर संबंधित कार्मिकों को राहत प्रदान की जावें।

– उच्च–शिक्षा विभाग (कॉलेज शिक्षा विभाग) में मंत्रालयिक संवर्ग के विभिन्न पदों की पदोन्नति (DPC) प्रक्रिया संपादित होने से पूर्व पदवार रिक्त पदों का विवरण सार्वजनिक किया जावें। ताकि कार्मिकों को पदोन्नति उपरांत पदस्थापन प्रक्रिया के लिए रिक्त पदों के संदर्भ में स्पष्ट सूचना प्राप्त हो सकें।

– पारदर्शिता बनाए रखने के लिए उच्च–शिक्षा विभाग (कॉलेज शिक्षा विभाग) के शैक्षणिक संवर्ग के समान ही मंत्रालयिक संवर्ग के विभिन्न पदों की पदोन्नति (DPC) प्रक्रिया संपादित होने के उपरांत पदोन्नति का रोस्टर पंजिका विभागीय वेबसाइट पर जारी कर सार्वजनिक किया जावें।

– भविष्य में उच्च–शिक्षा विभाग (कॉलेज शिक्षा विभाग) में मंत्रालयिक संवर्ग के विभिन्न पदों की पदोन्नति (DPC) प्रक्रिया संपादित होने के उपरांत दिए जाने वाले पदस्थापन में कार्मिकों को रिक्त पदों के विरूद्ध (पदविरूद्ध) पदस्थापन दिए जाने में **'एकरूपता एवं समानता के सिद्धांत'** को लागू किया जावें या पदोन्नति उपरांत पदस्थापन की प्रक्रिया के लिए ऑनलाईन काउंसलिंग पोर्टल का निर्माण कर काउंसलिंग के माध्यम से पदस्थापन की प्रक्रिया संपादित की जावें ताकि कार्मिकों को पदोन्नति उपरांत पदस्थापन प्रक्रिया में अनावश्यक भेदभाव एवं असंतोष का सामना नहीं करना पडे।

आपसे अनुरोध हैं कि इस मामले को गंभीरता से लेते हुए शीघ्र कार्रवाई करें और भविष्य में डीपीसी प्रक्रिया को वित्तीय वर्ष के प्रथम तिमाही में ही पूर्ण करने के लिए दिशा–निर्देश जारी करने का श्रम करें। आपकी महती कृपा होगी।

आपकी सकारात्मक कार्रवाई की प्रतीक्षा में।

भवदीय

ऋतुराज टोंग्या
प्रदेशाध्यक्ष, ARUSMA

(EMAIL ID : arusma2025@gmail.com)
प्रधान कार्यालयः SKIT कॉलेज के पास, रामनगरिया, जगतपुरा, जयपुर